IN THE COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE AND COLLECTOR, JAMUI

FORM OF ORDER SHEET

जमाबंदी सुधार अपील वाद सं0–04 / 2015

चेतन मांझी

बनाम

राजेन्द्र प्रसाद मंडल एवं अन्य

Serial no.	Date of order or proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	20.05.2016	आदेश यह वाद चेतन मांझी पिता–स्व0 डोमन मांझी साकिन–खैरा थाना–खैरा जिला–जमुई द्वारा लाया गया जिसे अंगीकृत करने के बिन्दु पर सुना गया एवं अंगीकृत किया गया। यह अपील वाद चेतन मांझी ने निम्न न्यायालय अंचल अधिकारी, खैरा के जमाबंदी सुधार वाद सं0–03 / 2011–12 में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा दिनांक 02.02.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–खैरा के खाता सं0–305 खेसरा सं0–947 रकवा–25 डी0 जमीन के खतियानी रैयत कनटु मांझी वल्द चुरामन मांझी थे। खतियानी रैयत कनटु मांझी का इस जमीन पर हक अधिकार एवं दखल कब्जा था। कनटु मांझी के नाम से जमाबंदी सं0–584 कायम थी जिसका वर्ष–2010–11 तक मालगुजारी रसीद निर्गत है। कन्टु मांझी अपने तीन पुत्र डोमन मांझी, गणेश मांझी और सुखदेव मांझी को छोड़कर मर गये। डोमन मांझी अपने दो पुत्र चेतन मांझी और पुना मांझी तथा एक पुत्री सबिया देवी को छोड़कर मर गये। गणेश मांझी नावल्द मर गये। सुखदेव मांझी अपने एक पुत्र धोबी मांझी को छोड़कर मर गये। धोबी मांझी नावल्द मर गये। चेतन मांझी इस वाद में अपीलार्थी है। चेतन मांझी अपने परिवार का कर्ता एवं प्रबंधक है। अपने पिता एवं दादा की मृत्यु के बाद अपीलार्थी का इस जमीन पर दखल कब्जा चला आ रहा है। इस जमीन पर अपीलार्थी का घर, गोहाल, खलिहान, इंदिरा आवास, अमरूद, शीशम तथा महुआ का वृक्ष आदि अवस्थित है। खतियानी रैयत कन्टु मांझी अथवा उनके वारिसानों ने इस जमीन को कभी किसी को नहीं बेचा था। विपक्षी राजेन्द्र प्रसाद मंडल पिता–स्व0 जगदीश रावत उर्फ भासो रावत ने इस जमीन को खतियानी रैयत कन्टु मांझी अथवा उनके वारिसानों से नहीं खरीदा, बल्कि खोटु मांझी पिता–स्व0 लक्ष्मण मांझी एवं अन्य से खरीदा है। खोटु मांझी एवं अन्य ने दिनांक 11.02.1974 को जाली केवाला के द्वारा मौजा–खैरा के खाता सं0–305 खेसरा सं0–947 रकवा–25 डी0 जमीन विपक्षी जगदीश रावत उर्फ भासो रावत पे0–कंचन रावत को बेच दिया,	

जबकि खोटु मांझी एवं अन्य को खतियानी रैयत कन्टु मांझी की जमीन को बेचने का कोई हक अधिकार नहीं था और इस जाली केवाला के आधार पर जगदीश रावत उर्फ भासो रावत एवं उनके पुत्रों का कभी दखल कब्जा नहीं हुआ। विपक्षी राजेन्द्र प्रसाद मंडल पे0–स्व0 जगदीश रावत उर्फ भासो रावत एवं अन्य ने मौजा–खैरा के खाता सं0–305 खेसरा सं0–947 रकवा–25 डी0 जमीन की जमाबंदी सं0–584 को विलोपित करने हेतु अंचल अधिकारी, खैरा के पास जमाबंदी सुधार वाद सं0–03/2010–11 दायर किया, जिसमें अंचल अधिकारी, खैरा द्वारा कन्टु मांझी पे0–चुरामन मांझी के नाम से चल रही जमाबंदी सं0–584 को रद्द करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई को भेज दिया गया। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा दिनांक 02.02.2012 को कन्टु मांझी पे0–चुरामन मांझी के नाम से चल रही जमाबंदी सं0–584 को रद्द करने की स्वीकृति प्रदान कर दिया गया। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार को अपीलार्थी की पुरानी जमाबंदी को रद्द करने का अधिकार नहीं है। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार के द्वारा बिना अपीलार्थी को नोटिस दिए, बिना दस्तावेजों का परिशीलन किये अपीलार्थी की जमाबंदी को रद्द कर दिया गया। अतः जमाबंदी सुधार वाद सं0–03/2010–11 में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई का आदेश दिनांक 02.02.2012 गलत है, इसे निरस्त किया जाय और अपीलार्थी की जमाबंदी सं0–584 को **Restore** करने हेतु अंचल अधिकारी, खैरा को आदेश दिया जाय।

2. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह वाद चलने लायक नहीं है और कालबाधित है। दाखिल खारिज से संबंधित मामले में इस न्यायालय को रिविजन का अधिकार है। जमाबंदी सुधार अपील इस न्यायालय में चलने लायक नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन में विवादित भूमि का स्पष्ट ब्यौरा अंकित नहीं किया है और न चौहद्दी अंकित किया है। इस आधार पर भी यह वाद चलने लायक नहीं है। मौजा–खैरा के खाता सं0–305 खेसरा सं0–947 रकवा–25 डी0 जमीन के खतियानी रैयत कन्टु मांझी वल्द चुरामन मांझी थे। खतियानी रैयत कन्टु मांझी खतियान बनने के कुछ ही समय के बाद खैरा छोड़कर कहीं अन्यत्र चले गये और उनकी सारी जमीन भूतपूर्व जमीन्दार की हो गयी। भूतपूर्व जमीन्दार ने इस जमीन को लक्ष्मण मांझी पे0–पोखन मांझी को बन्दोबस्त कर दिया। उनके नाम से रसीद कट रही थी। जमाबंदी रैयत लक्ष्मण मांझी के पुत्र खोटु मांझी एवं अन्य ने दिनांक–11.02.1974 को मौजा–खैरा के खाता सं0–305 खेसरा सं0–947 रकवा–25 डी0 जमीन को केवाला के द्वारा जगदीश रावत उर्फ भासो रावत पे0–कंचन रावत को बेच दिया। इस केवाला को आज तक किसी न्यायालय के द्वारा रद्द नहीं किया गया है। अपीलार्थी खतियानी रैयत कन्टु मांझी के वंशज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा दिया गया वंशावली गलत है। अपीलार्थी चेतन मांझी ने

दिनांक 04.05.1996 को दुखी रविदास के पक्ष में खाता सं0–344 खेसरा सं0–937 रकवा–02 डी0 जमीन वजरिये केवाला बेचा था जिसके केवाला में जमाबंदी सं0–1290 दर्शाया, जो जमाबंदी डोमन मांझी पिता–पैरू मांझी के नाम से है। जमाबंदी सं0–1290 के मालगुजारी रसीद वर्ष 1996–97 में डोमन मांझी पे0–पैरू मांझी अंकित है। इस तरह से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के दादा पैरू मांझी थे, कन्टु मांझी नहीं थे। अपीलार्थी को खाता सं0–305 खेसरा सं0–947 रकवा–25 डी0 जमीन से कभी कोई सरोकार नहीं था और न है। कन्टु मांझी के नाम से जमाबंदी सं0–584 कायम किये जाने के किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश नहीं है। जिस कारण जमाबंदी गलत है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक आदि राजस्व पदाधिकारियों के जाँच में भी खेसरा नं0–947 के किसी भी अंश पर अपीलार्थी का दखल कब्जा नहीं पाया गया। अपीलार्थी का यह कहना कि इस खेसरा पर मकान, गाछ, कुआँ आदि अवस्थित है, गलत है। सच्चाई यह है कि इस जमीन पर विपक्षी के पिता के द्वारा लगाया गया खजुर का गाछ आदि मौजूद है और जगदीश रावत उर्फ भासो रावत के द्वारा खरीद किये जाने के समय से ही इस जमीन पर विपक्षी का दखल कब्जा चला आ रहा है और मालगुजारी रसीद कट रही है। वर्ष 1996 में अपीलार्थी ने अपर समाहर्त्ता, जमुई के न्यायालय में विविध वाद सं0–29/96–97 चेतन मांझी बनाम श्री कैलाश रावत दायर किया था जिसमें अपर समाहर्त्ता, जमुई के द्वारा दिनांक 20.12.96 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश में अपीलार्थी चेतन मांझी के दावे को अस्वीकृत कर दिया गया था और आदेश में यह भी निष्कर्ष था कि चेतन मांझी कन्टु मांझी के खानदान के नहीं हैं। विपक्षी राजेन्द्र प्रसाद मंडल पे0–स्व0 जगदीश रावत उर्फ भासो रावत वगै0 ने मौजा–खैरा के खाता सं0–305 खेसरा सं0–947 रकवा–25 डी0 जमीन की जमाबंदी सं0–584 को विलोपित करने हेतु अंचल अधिकारी, खैरा के पास जमाबंदी सुधार वाद सं0–03/2010–11 दायर किया था जिसमें अंचल अधिकारी, खैरा द्वारा कन्टु मांझी पे0–चुरामन मांझी के नाम से चल रही जमाबंदी सं0–584 को रद्द करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई को भेज दिया गया जिसमें उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा दिनांक 02.02.2012 को कनटु मांझी पे0–चुरामन मांझी के नाम से चल रही जमाबंदी सं0–584 को रद्द करने की स्वीकृति प्रदान किया गया। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई का आदेश पूर्णतः विधि–सम्मत है, इसमें कोई त्रुटि या अवैधानिकता नहीं है। अतः जमाबंदी सुधार वाद सं0–03/2010–11 में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के आदेश दिनांक 02.02.2012 को बहाल रखते हुए अपीलार्थी का अपील आवेदन खारिज किया जाय।

3. अपीलार्थी ने अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किये:–

1. होल्डिंग सं0–584 एवं 1294 के पंजी–II की छायाप्रति,

2. मालगुजारी रसीद सं0–032398, 662536, 631232, 052749, 731118 की मूल प्रति,

3. पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र सं0–37 दिनांक 26.6.14 की मूल प्रति,

4. खोटु मांझी एवं अन्य के द्वारा जगदीश रावत उर्फ भासो रावत को किये गये केवाल दिनांक 11.02.74 की नकल प्रति,

5. खाता सं0–305 के Continuous Khatian की नकल प्रति,

6. 1983 PLJR पेज 727 से 733 की छायाप्रति,

7. 2004 (2) BBCJ पेज VI-125 एवं VI-126 की छायाप्रति।

4. विपक्षी ने अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किये:–

1.चेतन मांझी के द्वारा दुखी रविदास को किये गये केवाला दिनांक 04.05.96 की छायाप्रति,

2. मौजा–खैरा के होल्डिंग नं0–1290 की मालगुजारी रसीद वर्ष 96–97 की छायाप्रति,

3. न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई के विविध वाद सं0–29/96–97 में दिनांक 20.12.96 को पारित आदेश के नकल की छायाप्रति।

4. विधिक नोटिस दिनांक 03.11.2010 की छायाप्रति,

5. अंचल कार्यालय, खैरा के जमाबंदी सुधार वाद सं0–03/2010–11 के आदेश पत्रक की छायाप्रति,

6. खोटु मांझी एवं अन्य के द्वारा जगदीश रावत उर्फ भासो रावत को किये गये केवाला दिनांक 11.02.74 की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति,

7. न्यायालय सरपंच ग्राम–कचहरी खैरा के वाद सं0–$\frac{D.13}{18/6/14}$/2014 के आदेश दिनांक 10.09.14 की छायाप्रति,

8. मालगुजारी रसीद सं0–331125, 297955, 244892, 391835, 00759465, 662565 की छायाप्रति।

5. अपीलार्थी ने इस अपील में अपील का अलग से कोई आधार नहीं दिया है, किन्तु उनका कहना है कि वे जमाबंदी सं0–584 मौजा–खैरा की जमाबंदी रैयत के वंशज हैं और प्रश्नगत भूमि पर उनका स्वत्व अधिकार और दखल कब्जा है। अपने आवेदन में वे अपने वंशनामा भी अंकित किए हैं और दावा करते हैं कि अपीलार्थी इस परिवार के कर्ता एवं प्रबंधक हैं। इनका कहना है कि विपक्षी ने खोटु मांझी पुत्र लक्ष्मण मांझी से एक जाली केवाला के माध्यम से दिनांक 11.02.74 को प्राप्त किया है और विकय कर्ता को यह केवाला करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि विकय कर्ता

जमाबंदी रैयत के वंश से नहीं आते हैं। उनका यह भी कहना है कि विपक्षीगण का प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा भी नहीं है और निम्न न्यायालय को जमाबंदी सं0–584 रद्द करने का अधिकार नहीं था। इस आधार पर उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने की मांग की है और अपने पक्ष में खतियानी रैयत के वारिश होने के नाते जमाबंदी कायम करने की मांग की है एवं प्रश्नगत भूमि पर स्वत्व, अधिकार एवं दखल कब्जा देने की मांग की है।

निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय ने अपने जमाबंदी सुधार वाद सं0–03/2010–11 में दिनांक 02.02.12 को पारित आदेश के माध्यम से जमाबंदी सं0–584 को रद्द करने की स्वीकृति दी है जो स्पष्ट तौर पर निम्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। निम्न न्यायालय के आवेदकों को चाहिए था कि जमाबंदी रद्द कराने हेतु सक्षम प्राधिकार अपर समाहर्त्ता के यहाँ आवेदन देते।

उपरोक्त के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश को क्षेत्राधिकार से बाहर पाते हुए निरस्त किया जाता है। जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा मांगी गई दूसरे अनुतोष जो प्रश्नगत भूमि पर स्वत्व, अधिकार एवं दखल कब्जा दिलाने की प्रार्थना से संबंधित है के संबंध में अपीलार्थी को निदेश दिया जाता है कि वे सक्षम प्राधिकार के समक्ष मूल अनुतोषों की मांग हेतु वाद दायर करें।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें। **L.C.R.** निम्न न्यायालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

20/5/16

समाहर्त्ता,
जमुई।

20/5/16

समाहर्त्ता,
जमुई।